अधिसूचना संख्या 211/2015 [एफ. सं. वी.27015/2/2015-एसओ (एनएटी.कॉम)]/एसओ 1998(ई), दिनांक 20-7-2015

जबकि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उप-धारा (1) के तहत जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या एस. ओ. 28 (ई) दिनांक 10 जनवरी, 2001 द्वारा केंद्रीय सरकार ने क्रम संख्या 2 पर, भारत सेवाश्रम संघ, 211, रास बिहारी एवेन्यू, कोलकाता -700019, पश्चिम बंगाल द्वारा "आदिवासी कल्याण परियोजना - गंगपुर, जिला नवसारी, गुजरात में डिस्पेंसरी, स्कूल, छात्रावास, लघु उद्योग, तकनीकी प्रशिक्षण / व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, सांस्कृतिक हॉल, आश्रम परिसर, आवासीय क्वार्टर, पानी की टंकी आदि के लिए भवन का निर्माण" को कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में निर्दिष्ट किया था, जिसे अधिसूचना संख्या एस.ओ.897(ई) दिनांक 5 अगस्त, 2003 के तहत कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था, जिसे अधिसूचना संख्या एस.ओ.485(ई) दिनांक 29 मार्च, 2007 के तहत वित्तीय वर्ष 2006-2007 से प्रारंभ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था, और जिसे अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2053(ई) दिनांक 10 अगस्त, 2009 के तहत वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारंभ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था, और जिसे अधिसूचना संख्या एस.ओ. 649(ई) दिनांक 12 मार्च, 2013 के तहत वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रारंभ होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया था;

और जबकि उक्त परियोजना या योजना के पंद्रह वर्षों से आगे बढ़ने की संभावना है;

और जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति, इस बात से संतुष्ट है कि उक्त परियोजना या योजना को ठीक से निष्पादित किया जा रहा है, ने आयकर नियम, 1962 के नियम 11ड के उप-नियम (5) के तहत उक्त परियोजना या योजना को तीन साल की और अवधि के लिए निर्दिष्ट करने के लिए एक और सिफारिश की है;

अब, इसलिए, केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35कग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसके द्वारा "आदिवासी कल्याण परियोजना - गंगपुर, जिला नवसारी, गुजरात में औषधालय, विद्यालय, छात्रावास, लघु उद्योग, तकनीकी प्रशिक्षण/व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, सांस्कृतिक हॉल, आश्रम परिसर, आवासीय क्वार्टर, पानी की टंकी आदि के लिए भवन का निर्माण" योजना या परियोजना को अधिसूचित करती है, जिसे भारत सेवाश्रम संघ, 211, रास बिहारी एवेन्यू, कोलकाता-700019, पश्चिम बंगाल द्वारा अनुमोदित लागत 277.00 लाख रुपये में किसी परिवर्तन के बिना वित्तीय वर्ष 2015-16 अर्थात् 2015-16, 2016-17 और 2017-18 से शुरू होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए पात्र परियोजना या योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है।

■■